सचिका स0–08/भू0सु0को0 (ऑन–लाईन दाखिल–खारिज)–01/2018– /रा0,

निबधित

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भूमि सुधार कोषाग)

प्रेषक,

विवेक कुमार सिह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा मे,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनाक– /2019

विषय– **ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओ के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर लिपिकीय/गणितीय त्रुटियो के शुद्धिकरण के सबध मे।**

प्रसग– **विभागीय पत्राक–974(8), दिनाक–31 12 2018**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अचलो को ऑन–लाईन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओ के निष्पादन हेतु अधिसूचित किया जा चुका है एव दाखिल–खारिज हेतु प्राप्त आवेदनो का निष्पादन भी किया जा रहा है। राजस्व एव भूमि सुधार विभाग द्वारा जिला स्तर एव राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न समीक्षात्मक बैठको मे कतिपय अधिकारियो द्वारा ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओ के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियो के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के सबध मे पृच्छा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओ के निष्पादन हेतु बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–16 (अध्याय–9) मे वर्णित प्रावधानो का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत "समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता तथा अचलाधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजो को पेश करने के लिए बाध्य करने एव खर्चा दिलवाने के मामलो मे वही शक्तियॉ होगी जो सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय मे निहित हो।"

सिविल प्रकिया सहिता, 1908 की धारा–152 मे वर्णित है कि –

Amendment of judgments, decrees or orders - clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of any of the parties

धारा–152 दो सिद्धान्तो पर आधारित है–

1 न्यायालय के कार्य से किसी पक्षकार को प्रतिकूलता/हानि नही पहुँचनी चाहिए, और

2 न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह देखे कि अभिलेख सही है और सही स्थिति को प्रस्तुत करता है।

गणितीय त्रुटि गणना की त्रुटि है, जबकि लिपिकीय–त्रुटि लिखने या टकित (टाइप) करने की त्रुटि है। किसी अकस्मात फिसलन (आकस्मिक भूल) या लोप से हुई त्रुटि एक ऐसी गलती (त्रुटि) है, जो बिना किसी अभिप्राय के और अनजाने मे की जाती है।

किन्ही तथ्यो या विधि के प्रश्न पर उसका पता लगाने के लिए विस्तृत बहस या साक्ष्य की आवश्यता पडे, तो ऐसी कोई त्रुटि को आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न त्रुटि नही कहा जा सकता, जो धारा–152 की परिधि के भीतर आती हो। जहॉ न्यायालय ने एक विधिक उपबध पर विचार किया और सचेत होकर विचार कर किसी गलत निष्कर्ष पर आया, और उसे सही माना, तो प्रत्यक्षत यह एक ऐसी त्रुटि नही है, जो आकस्मिक फिसलन या लोप से उत्पन्न हुई हो, परन्तु यह सचेत होकर की गई गलती है, जिसे धारा–152 के अधीन सही नही किया जा सकता। इसके लिए व्यथित पक्षकार को केवल एक उपचार प्राप्त है कि वह अपील फाईल करे।

निर्णय एव डिक्री मे हुई त्रुटि को ठीक करने लिए कोई समय सीमा तय नही है। लिपिकीय एव गणित सम्बन्धी त्रुटि कभी भी ठीक की जा सकती है, यहॉ तक कि अपील लम्बित रहने के दौरान भी न्यायालय त्रुटि को दूर कर सकता है।

धारा–152 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र केवल उस समय पोषणीय होगा जब लेखन एव गणित सबधी त्रुटि न्यायालय द्वारा कारित की गयी हो। यदि ऐसी त्रुटि पक्षकारो के द्वारा की गयी है तो धारा–152 के प्रावधान लागू नही होगे, अर्थात पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत करने मे उनके स्तर से हुई त्रुटि मे सुधार हेतु नया साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सकता है। यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि धारा–152 मे वर्णित प्रकार की त्रुटि का एक बार पता चल जाने के उपरान्त सबधित न्यायालय का अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह तुरन्त ऐसी त्रुटि को ठीक करे।

यहॉ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि निर्णयो या आदेशो मे की गई लिपिकीय या गणित सबधित भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतिया अचलाधिकारियो द्वारा स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध की जा सकेगी। लिपिकीय (लेखन) भूल या त्रुटि के सुधार की न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से सभी पक्षो को सूचित किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु किसी पक्षकार के आवेदन पर की गई उपरोक्त कार्य की सूचना अन्य सभी सबद्ध पक्षकारो को दिया जाना अपेक्षित होगा।

उपरोक्त प्रावधानो एव व्याख्या के आलोक मे ऑन–लाईन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओ के निष्पादन के उपरान्त दृष्टिगोचर त्रुटियो के शुद्धिकरण के सबध मे पूर्व मे निर्गत विभागीय पत्राक–974(8), दिनाक–31 12 2018 मे आशिक सशोधन करत हुए निम्नलिखित आदेश दिये जाते है –

1 दाखिल–खारिज वादो के निष्पादन हेतु पारित आदेश मे दृष्टिगोचर लिपिकीय/टकण भूल के कारण (क्रेता/विक्रेता की विवरणी/जमाबदी रैयत/खतियानी रैयत के नाम पता आदि मे परिलक्षित त्रुटि/लोप) एव लगान (राशि/कुल लगान से सबधित त्रुटि) एव चौहद्दी से सबधित त्रुटियो का जमाबदी डाटाबेस मे सशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई अचलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

2 अचलाधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज वादो के निष्पादन हेतु पारित आदेश मे दृष्टिगोचर लिपिकीय/टकण भूल के कारण खाता, खेसरा, रकवा मे हुई त्रुटि के कारण किसी अन्य जमाबदी के प्रभावित होने की स्थिति मे, आदेश मे किसी प्रकार का सशोधन सम्भव नही होगा। ऐसी स्थिति मे भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के आदेश के उपरान्त ही अचलाधिकारी द्वारा पूर्व मे पारित आदेश को निरस्त करते हुए, पुन आवेदक की सहमति प्राप्त कर, आवेदन सुधार के उपरान्त, दाखिल–खारिज आवेदन के साथ सलग्न साक्ष्यो के आधार पर किया जायेगा।

3 यदि आवेदन पत्र मे किसी प्रकार का सुधार अपेक्षित नही हो और राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन मे की गयी त्रुटि के कारण आदेश मे सशोधन अपेक्षित हो, तो ऐसी स्थिति मे, आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष विधिवत अपील वाद दायर करने के उपरान्त, अग्रतर कार्रवाई बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के आलोक मे की जायेगी।

नोट अचलाधिकारी दाखिल–खारिज वादो के निष्पादन हेतु पारित आदेश मे दृष्टिगोचर लिपिकीय/ टकण भूल के कारण किसी प्रकार के सशोधन के पूर्व, सम्बद्ध पक्ष/आवेदक द्वारा दाखिल–खारिज आवेदन के साथ सलग्न साक्ष्यो का अवलोकन कर, इस बिन्दु पर सतुष्ट हो लेगे कि लिपिकीय सशोधन से मूल आदेश की भावना मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही हो रहा हो, एव लेखन एव गणित सबधी त्रुटि न्यायालय द्वारा ही की गई हो।

विश्वासभाजन,

(विवेक कुमार सिह),
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 756 (8) /रा0, पटना, दिनांक– 28-10-2019

प्रतिलिपि– सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 756 (8) /रा0, पटना, दिनांक– 28-10-2019

प्रतिलिपि– सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 756 (8) /रा0, पटना, दिनांक– 28-10-2019

प्रतिलिपि– सभी अचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 756 (8) /रा0, पटना, दिनांक– 28-10-2019

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एव भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।